तत्काल
समय–सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–136/सात–1/2013 रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर,2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत।

———

विधान सभा चुनाव, 2013 के घोषणा–पत्र में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने संबंधी बिन्दु भी समाहित है। घोषणा पत्र के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा समस्त वन ग्रामों को चाहे वे सर्वेक्षित हों अथवा न हों, को 26.01.2014 के पूर्व राजस्व ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व ग्रामों की विरचना तथा गठन के प्रावधान छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के अंतर्गत दिये गये हैं । चूंकि संहिता के प्रावधान वन भूमि पर लागू नहीं होते,अतः भू–राजस्व संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन प्रस्तावित करते हुए , विधि विभाग से अभिमत मांगा गया था । प्रस्तावित संशोधन पर विधि विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:–

'' छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1968 की धारा 1 में इस संबंध में सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है:–

धारा–1–(1).....

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है किंतु इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, भू–राजस्व के भुगतान के लिये भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू–राजस्व के निर्धारण, भू–राजस्व की उगाही से संबंधित उपबंधों को और उनसे आनुषंगिक समस्त उपबंधों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन समय–समय पर, आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाये,

इस तरह छ.ग.भू–राजस्व संहिता के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि इस संहिता के प्रावधान वन अधिनियम 1970 के अंतर्गित आरक्षित वन या संरक्षित वन भूमि पर लागू नहीं होगें । जबकि प्रशासकीय विभाग इस कारण संहिता की धारा 1 में प्रस्तावित संशोधन करना चाहता है कि संहिता के प्रावधान FRA Act, 2006 के अंतर्गत आने वाले वनभूमि पर लागू होगा ।

जबकि FRA Act, 2006 के धारा 4 के निम्न प्रावधान है:–

4 (1) Notwithstanding, anything contained in any other law for the time being in force, and subject to the provisions of this Act, the Central Government hereby recognized and vests forest right in-

(a) the forest dwelling Scheduled Tribes in State or areas in States where they are declared as Scheduled Tribes in respect of all forest rights mentioned in section 3;

(b) the other traditional forest dwellers in respect of all forest rights mentioned in section 3;

इस प्रावधान से ही स्पष्ट है कि अन्य किसी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासियों को अधिनियम में वर्णित वन अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रावधान के अनुसार यदि अन्य किसी अधिनियम में किसी भी तरह की कोई रोक या बाधा हो तो भी उसका प्रभाव FRA Act, 2006 के ऊपर नहीं पड़ेगा । चूंकि FRA Act, 2006 बाद में बनाया गया है, इसलिए इसकें पूर्व की विधियों का कोई विपरीत प्रभाव FRA Act, 2006 के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस कारण छ0ग0भू–राजस्व संहिता में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार से जो Guidelines प्राप्त हुए हैं, उसका अनुसरण करते हुए विभाग सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर वहां रहने वाले वनवासियों एवं अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार प्रदान करने में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।"

2/ स्पष्ट है कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही यह कार्यवाही की जाना है। संहिता की धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्रामों के गठन अथवा विरचना के अधिकार बंदोवस्त अधिकारी को दिये गये हैं । बन्दोवस्त सर्वेक्षण समाप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के अनुमोदन से यह कार्य कलेक्टर के द्वारा किया जाना है। शासन द्वारा इस संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जा रही है।

3/ वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी प्रक्रिया वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पत्र क्रमांक एफ 7–39/2001/10–2/नया रायपुर दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 द्वारा जारी की गई है। इन निर्देशों के पालन में आपके द्वारा कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई होगी । इस पत्र के साथ प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। अपने जिलें के वन ग्रामों के संबंध में चाहे वे सर्वेक्षित हों अथवा असर्वेक्षित ,जानकारी तीन दिनों के अंदर संचालक, भू–अभिलेख रायपुर तथा इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– प्रपत्र

(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 4–136/सात–1/2013 रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर,2013

प्रतिलिपिः–

1/ समस्त संभागीय आयुक्त(रा). छत्तीसगढ़
2/ संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर
3/ समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी),छत्तीसगढ़
4/ समस्त उप संचालक,राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य,छत्तीसगढ़
5/ एन.आई.सी. मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रपत्र

वनग्राम का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	प्रस्तावित प.ह.नं.	प्रस्तावित ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	ग्राम का कुल रकवा	गांव की चतुर्सीमा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8